सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः–2024 / 134 दर्ज तिथिः–26.06.2024

1. बाबुराम पुत्र पनाराम
   जाति विश्नोई निवासी लाखालाई नाडी, हाल रोहिला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर

.......................प्रार्थीगण

बनाम

1. उदा पुत्र तुलछा
2. एलची पत्नी ठाकरा
3. कुनणी पत्नी मंगलाराम
4. करनाराम पुत्र भागीरथ
5. जगदीश पुत्र ठाकरा
6. जगदीश पुत्र भारूराम
7. जोधाराम पुत्र हरिराम
8. ठाकराराम पुत्र हीराराम
9. धुड़ी पत्नी हरलाल
10. पांचाराम पुत्र भारूराम
11. भाखराराम पुत्र भारूराम
12. मांगीलाल पुत्र मंगलाराम
13. रामूराम पुत्र भारूराम
14. रामलाल पुत्र चन्दा
15. रिड़मल पुत्र काछबा
16. लाखा पुत्र कोहला
17. लाला पुत्र कोहला
18. वरजुदेवी पत्नी विरधाराम
19. सुरतीदेवी पत्नी विरधाराम
20. वीजाराम पुत्र भारूराम
21. शंकराराम पुत्र भागीरथ
22. सोहनलाल पुत्र चन्दा
    जाति विश्नोई निवासी रोहिला, तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर
23. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना

.................अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री रामनिवास विश्नोई

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.22 17:52:57 IST
Reason: SelfAttested

बाबुराम बनाम उदाराम
2024/134
निर्णय दिनांकः—06.12.2024
अप्रार्थीगणः— श्री ओमप्रकाश विश्नोई

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—136
राजस्थान भू—राजस्व अधि.—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—06.12.2024

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड हाल आराजी खाता संख्या 36 हाल खसरा नम्बर 627/94.1945 है0, 629/17.3691 है0 में प्रार्थी 1/3 हिस्से का खातेदार मौजा लाखोलाई नाडी तहसील धोरीमन्ना जिला बाडमेर राजस्थान में स्थित दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजी वर्णित हाल खसरा नम्बरान राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2070—2073 में खाता संख्या 36 में प्रार्थी का नाम रामकिशन पुत्र पन्ना अंकित है। जबकि प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात् व आईडी व अन्य रिकॉर्ड प्रार्थी का सही नाम बाबुराम पुत्र पनाराम दर्ज है। इस प्रकार जमाबन्दी सम्वत् 2070—2073 में राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत अंकन किया गया है। अंत में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की उक्तानुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण का नाम आदाराम पुत्र रूगाराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद विधिवत तामिल अप्रार्थीगण द्वारा असालतन—वकालतन उपस्थित न्यायालय होकर इकबाली जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में तहसीलदार धोरीमन्ना से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की जो कि शामिल पत्रावली की गई।

3. पत्रावली पर प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में रामकिशन पुत्र पन्ना के स्थान पर बाबुराम पुत्र पनाराम दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण को नापूर्ति योग्य नुकसान हो रहा है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी हाल राजस्व रिकॉर्ड में रामकिशन पुत्र पन्ना दुरूस्त कर सही नाम बाबुराम पुत्र पनाराम दर्ज कर घोषणा किये जाने का निवेदन किया गया।

4. मैनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक जमाबंदी संवत् 2070—2073 वाके ग्राम लाखोलाई नाडी के नवीन खाता संख्या 36 का विवरण निम्न प्रकार हैः—

खातेदार	हिस्सा	हाल आराजी खसरा संख्या	रकबा
रामकिशन पुत्र पन्ना	1/3	627 मौजा लाखोलाई नाडी 629 मौजा लाखोलाई नाडी	94.1945 है0 17.3691 है0

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.22 17:52:57 IST
Reason: SelfAttested

5. प्रकरण में प्रार्थीगण का नाम से संबंधित अन्य दस्तावेजों का विवरण इस प्रकार हैः—

दस्तावेज का विवरण	नाम
जनाधार कार्ड	बाबुराम पुत्र पनाराम
पहचान पत्र	बाबुराम पुत्र पनाराम
आधार कार्ड	बाबुराम पुत्र पनाराम
राशन कार्ड	बाबुराम पुत्र पनाराम

6. प्रकरण में तहसीलदार धोरीमन्ना की रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कि संलग्न पत्रावली है जिसका प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः—

    1. *(....)* ***रामकिशन पुत्र पन्ना एवं बाबुराम पुत्र पनाराम दोनों एक ही व्यक्ति*** *के नाम है।*
    2. *प्रार्थी का जनाधार कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि में नाम बाबुराम पुत्र पनाराम अंकित है तथा प्रार्थी को* ***बाबुराम पुत्र पनाराम*** *नाम से ही जाना जाता है।*

7. उक्त विश्लेषण के अनुसार मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट रामकिशन पुत्र पन्ना एवं बाबुराम पुत्र पनाराम दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। वर्तमान में प्रार्थी का अन्य दस्तावेजों में नाम बाबुराम पुत्र पनाराम अंकित है। अतः प्रार्थी का असल नाम अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अद्यदित किया जाकर मिलान किया जाना आवश्यक है ताकि प्रार्थी अपने खातेदारी अधिकारों का अबाद व पूर्ण उपयोग कर सके। अतः प्रार्थीगण के हाल राजस्व रिकॉर्ड में नाम संबंधी इन्द्राज को मुताबिक अन्य दस्तावेज असल नाम अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र अन्य दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी में नाम संबंधी इन्द्राज **रामकिशन पुत्र पन्ना** को कलमजन कर मुताबिक अन्य दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट **बाबुराम पुत्र पनाराम** का अंकन करने के आदेष तहसीलदार धोरीमन्ना को दिये जाते हैं। बाकी राजस्व इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार धोरीमन्ना को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 06.12.2024 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
धोरीमन्ना—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.22 17:52:57 IST
Reason: SelfAttested